

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र० सं० 18/2018

1. सुलतान पुत्र सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं० 14 फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांत

बनाम

1. लियाकत अली पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. अधिशाषी अभियंता सिंचाई क्षेत्र विकास ई.गा.न.प. नोहर हनुमानगढ़ सिंचाई कॉलोनी भादरा रोड नोहर।
4. जगदीश पुत्र महेन्द्र पि० रूपाराम जाति जाट सा० फेफाना तहसील नोहर।

– असल रेस्पोंडेंट

5. आमीन पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक : 03.05.2018 प्रकरण सं० 3/2018 बनवानी लियाकत अली बनाम जगदीश वगैरह बअदालत तहसीलदार (राजस्व) नोहर

उपस्थित:— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 20.07.2021

संक्षेप में अपील अपीलांत की ओर से निम्न प्रकार से हैं :-

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.05.2018 प्रकरण सं० 3/2018 बनवानी लियाकत अली बनाम जगदीश वगैरह उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपारस्तनीय है।
2. रेस्पोंडेंट सं० 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि चक न० 1 जेएसएन में रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की भूमि है उक्त भूमि में आवागमन का रास्ता स्वीकृत है जो पत्थर न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 5,6,15,16,25 में बन्द कर रखा है। जिससे खेत में आवागमन नहीं हो रहा है तथा भारी परेशानी हो रही है। उक्त मंजूर शुदा रास्ता खुलवाने का निवेदन किया प्रार्थी/रेस्पोंडेंट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने

पर प्रकरण राज० काश्तकारी अधिनिय सन् 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजि० किया जाकर पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त की। पटवारी हल्का के द्वारा चक न० 1 जेएसएन के खाता स० 160 में प०न० 365/363 के मु०न० 19 व पत्थर न० 364/363 के मु०न० 20 के किला न० 1.958 हैकअ बरानी भूमि श्याकर अली, लियाकत अली पि० ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना के नाम रिकार्ड में दर्ज होना बताया तथा प्रार्थी द्वारा प०न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 6, 5 में 2-2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जगदीश, महेन्द्र पि० रूपराम जाति जाट निवासी फेफाना के खातेदार के खाते में दर्ज है। खाता स० 7/6 में प०न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 15 में 2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अमरसिंह, हरसिंह व दुनीराम, देवीलाल पि० हरफुल ब.हि.ब. 3/7 हिस्सा रूकमा पुत्री हरफुल 1/4 हिस्सा रूपराम पुत्र श्योकरण 1/2 हिस्सा जाति जाट निवासी फेफाना के खाते में दर्ज है। खाता स० 16/14 में 364/364 मु०न० 37 के किला न० 16,25 में 2-2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा प० न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 25 में पक्का नका बना हुआ है। किला न० 16 व 325 में कच्ची आड सिंचाई हेतु बनी हुई है। किला न० 16,6,5 में लगभग 2-2 बिस्वा भूमि खाली है इस भूमि में कई वर्षों से रास्ता चालु नहीं है। प० न० 364/365 पर पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता चालु है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को आधार मानते हुए बिना किसी रिजनिंग व फाईडिंग के अपीलाधीन निर्णय गैर कानुनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

3. पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 के अनुसार प०न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 5, 6 व 15, 16, 25 में सिंचाई विभाग द्वारा भराई की सिंचाई आड पक्की सिमेंटेड बनी हुई है तथा किला न० 25 में सिंचाई विभाग द्वारा चैम्बर मय नक्का निर्माण किया हुआ है उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट था कि प०न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 5,6,15 व 16,25 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है बल्कि हमेशा से सिंचाई होती रही है तथा अपीलांट अपने खेत में किला न० 5,6,15,16,25 में से स्वीकृत शुदा पानी की आड जो कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्णित है से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा सिंचाई विभाग के नक्शा से स्पष्ट रोशन है कि प०न० 364/364 के मु०न० 37 के किला न० 1,10,11,20,21 के पश्चिम तरफ से ही लियाकत हमेशा से आवागमन करता रहा है तथा सिंचाई विभाग के नक्शा, उक्त

रास्ता किला न० 1,10,11,20,21 में स्वीकृत है। एक मुरब्बा में दो दो रास्ते कानूनी तौर पर स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं तथा प० न० 364/364 के मु० न० 37 के उत्तर में रेस्प० स० 1 का खेत है जो किला न० 1,10,11,20,21 के पश्चिम तरफ के रास्ता से ही रेस्प० स० 1 आवागमन करता आ रहा है। परन्तु मातहत अदालत ने गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

4. रोही मौजा चक 1 जेएसएन तहसील नोहर के प० न० 364/364 के मु० न० 37 के किला न० 5, 6, 15, 16, 25 में सिंचाई आड नक्शा सिमेंटेड बना हुआ है जो सी.ए. डी. विभाग द्वारा सिद्धमुख नहरी प्रयोजन डिस्ट्रीब्यूटरी जसाना माईन कमाण्ड ऐरिया सर्वे तथा माईको चैनलाईजेशन चको का प्लान किया गया है जिसमें उक्त चक प्लान तैयार सी.ए.डी. द्वारा सही तौर से तैयार कर सुपररिन्डेन्ट इन्जिनियर RWSRP CIRCLE हनुमानगढ़ सही स्वीकार करने पर जारी किया गया तथा अपीलान्ट काफी वर्षों अपनी खातेदारी भूमि में पानी लगाते रहे हैं सिंचाई विभाग को पक्षकार भी नहीं बनाया गया तथा उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मातहत अदालत ने गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।
5. सिंचाई विभाग व नक्शा तोड़ने का मातहत अदालत को कोई क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था रेस्प० स० 1 राजनैतिक प्रभाव के चलते उपरोक्त समस्त कार्यवाही गैर कानूनी ढंग से पारित की गई है जो अपास्तनीय है।
6. अपीलान्ट के पास नोटिस आने पर उन्होंने अपना अभिभाषक को नियुक्त किया उन्हें व अपीलान्ट को सुनवाई/जवाब देही का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय से अपीलान्ट को वंचित किया गया है तथा चक के समस्त काश्तकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा मनमर्जी एवं एक पक्षीय गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।
7. सी.एस.डी. चक प्लान में चक न० 1 जेएसएन में प० न० 364/364 मु० न० 37 के किला न० 1,10,11,20,21 के पश्चिम तरफ रास्ता मंजुद शुदा है उसी रास्ता से रेस्प० स० 1 हमेशा से आवागमन करता रहा है। किला न० 5,6,15,16,25 में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज किये सैकड़ों सालों से सिंचाई के नक्का व आड को मिस्सार करने का आदेश गैर कानूनी है।

8. गैरमुमकिन खाला व आड व नक्का सी.ए.डी. विभाग द्वारा निर्मित है को तहसीलदार राजस्व नोहर को क्षेत्राधिकार नहीं कि उस स्थान को रास्ता घोषित कर देवे जब रास्ता था ही नहीं तो मौके पर खाला आड व नक्का तोड़ने को तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार ने गैर कानुनी ढंग से कानून को हाथों में लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.05.2018 प्रकरण सं 03/2018 बअनवानी लियाकत अली बनाम जगदीश आदि बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। बहस अधिवक्ता सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट ने मैरिट के आधार पर अपील के निस्तारण का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। चक नं 1 जे.एस.एन. के प.न. 364/3614(37) के किला नं 5,6,15,16,25 का राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत शुद्ध है। जिससे तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा उक्त स्वीकृत प्रश्नगत रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 251 के खुलवाया गया है जो कि उचित प्रतित होता है तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत प्रतित होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज कि जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल रहें।

(डॉ. गुंजन अतिरिक्त जिला न्यायालय)
अतिरिक्त जिला न्यायालय
नोहर (हनुमानगढ़)